

कार्यालय नगरपालिका सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

दूरभाष सं. 02966-252244, 251344 ई-मेल : eosagwada@yahoo.com

वेबसाईड: www.urban.rajasthan.gov.in/ulbsagwara

क्रमांक : न.पा.सा / नामान्तरण / 2016-17 / 3027

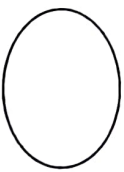
दिनांक : 27.12.2016

स्वास्थ्य
भारत
एक स्वस्थ समाज का प्रेरक

हस्तानान्तरण प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ओम सेवा संस्थान सागवाड़ा जरिये हेमन्त कुमार पाठक निवासी सागवाड़ा द्वारा भूखण्ड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड/पट्टा साईज 1164 वर्गगज योजना/मौहल्ला पालिया का हस्तान्तरण अपने नाम चाहा है, प्राप्त दस्तावेज के आधार पर उजरदारी पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्रार्थी के नाम पर भूखण्ड/पट्टा साईज 1164 वर्गगज योजना/मौहल्ला पालिया का हस्तानान्तरण (ट्रांसफर) पालिका रेकार्ड में दर्ज किया गया है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 27.12.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका सागवाड़ा

100 - 21

राजस्थान

संभाकर राम रजिस्टर नम-^{७५४६१}~~७५४६०~~ पटवार हल्का

॥ अ.सं. १६०-२०१०-३०,००० रु.

ଅନ୍ତରାଳ

पटवारी
पटवार मण्डल
जि. हिंगणपुर (राज.)

Nº 0530082

(प्रति परत)

रजिस्टर नाम वसुदेव गौड़ पटवार हल्का 258 पंचक्रा भू. म. निरोसक हल्का उमेश 17 तहसील 27/3/85 जिला इमरपुर राजस्थान

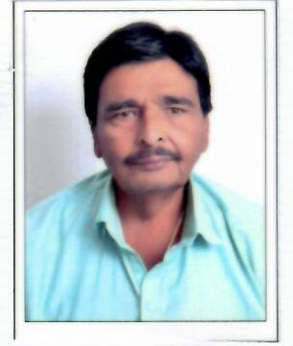
[illegible]

म.सू.सं. 160-2018-30,080 रु.

5/12/21 13/2/21

ਸਮਾਜ ਯੁਕਤਿਮਿਤਿ

पटवारी
पटवार मण्डल ...
तह.सांगवाड़ा जि.डूंगरपुर (राज.)



नगरपालिका सागवाडा जिला डूंगरपुर

पट्टा-विलेख (लीज होल्ड)

संस्थागत (क्षेत्रिक)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

क्रमांक / 07

दिनांक / 02/10/2021

पट्टा धारक का नाम पुत्र/पुत्री
पत्नी पति
निवासी
.....

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स ओम सेवा संस्थान कार्यालय पता पुराना बस स्टेण्ड सागवाडा

जरिये

अध्यक्ष

(पदनाम) श्री

हेमन्त कुमार पाठक पुत्र श्री मानशंकर पाठक

निवासी

सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

भूखण्ड सं.

01 क्षेत्रफल 92808.00 वर्गफीट

राजस्व ग्राम

जैठाना खसरा सं. 230, 231 / 1

योजना

पालिया फला सागवाडा मे स्थित है।

स्थानीय निकाय (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 02.10.2021 को निष्पादित किया जाता है।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.

2.

अध्यक्ष
नगरपालिका सागवाडा

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, सागवाडा (राज.)

नोट - शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित है।



- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached



संस्थागत

पट्टा विलेख की शर्तें (लीज होल्ड)

(कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012)

पट्टे की शर्तें

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा कर दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त है।
अथवा
पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष लीज राशि **Nil** प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वही किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित विनियम में संबंधित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय/अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा। तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
4. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिये निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीयन विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टा धारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
5. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।
6. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होगा।
7. पट्टाकर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उप विभाजन/पुर्नगठन व भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता है।
9. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरुद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
10. पट्टा विलेख की योजना में आंतरिक विकास पर होने वाले व्यय विकासकर्ता/गृहनिर्माण सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।
11. पट्टा विलेख जिन अधिनियमों, नियमों, निधि, विनियम के तहत जारी किया गया है इनके सभी प्रावधान व शर्तें लागू होंगी, जिनकी पालना नहीं करने पर पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
12. अन्य.....

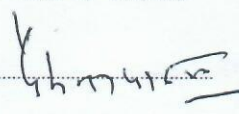
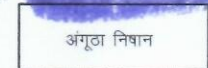
नोट :- निर्मित भूखण्ड में शर्त नं. 8 लागू नहीं होगी।

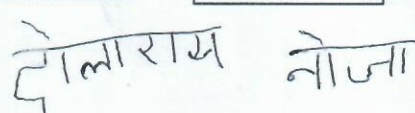
स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व. कृषि भूमि ख.न. 229, 231 पश्चिम. रास्ता
उत्तर.कृषि भूमि ख.न. 231, 233 दक्षिण आबादी जमीन एवं कृषि भूमि
ख.न. 80/13, 206

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1.  
2. 

साक्षी :- 

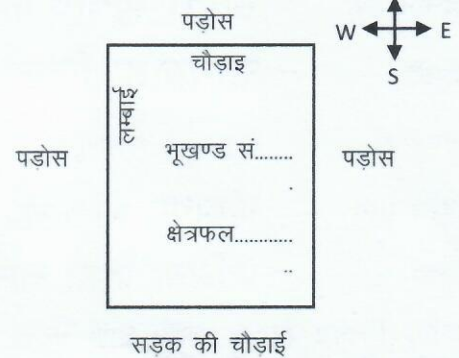
हस्ताक्षर.....

नाम

पता

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached

साइट प्लान



साइट प्लान अलग से संलग्न है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, सागवाड़ा (राज.)





नगर पालिका सागवाडा जिला डूगरपुर

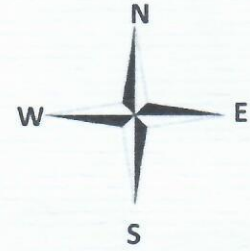
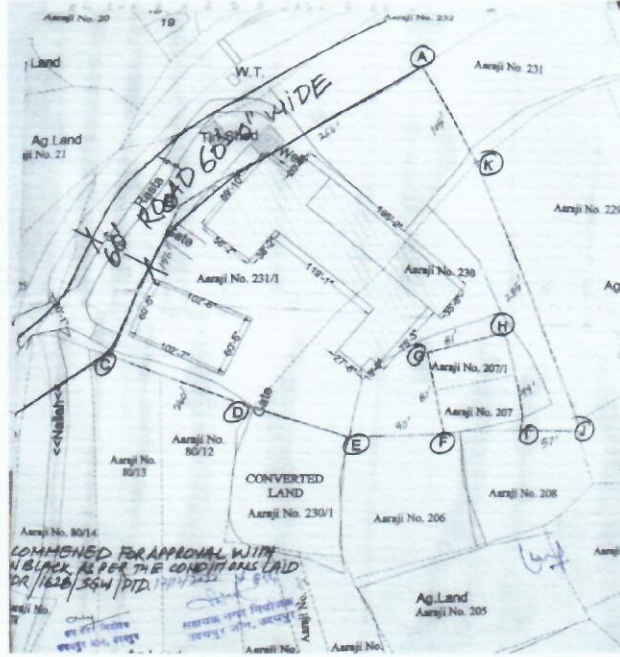


साईट प्लान – संस्थागत (अंशिक)

योजना/गैर योजना राजस्व ग्राम – जैठाना आराजी संख्या 230, 231/1

भूखण्ड संख्या 01 भूखण्ड का आकार 92808.00 वर्गफीट पट्टा धारक का नाम – ओम सेवा

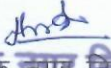
संस्थान श्री हेमन्त कुमार पाठक पिता मानशंकर पाठक निवासी सागवाडा



भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 92808.00 वर्गफीट

नोट – भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जावे।


कनिष्ठ अभियंता
नगरपालिका सागवाडा


सहायक नगर नियोजक
नगरपालिका सागवाडा


अधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका, सागवाडा (राज.)

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached